



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1973/श्रावण 9, 1895

No. 273]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1973/SRAVANA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रत्येक संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July 1973

S. O. 417 (E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of the article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

- 1.(1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Ninety-ninth Amendment) Rules, 1973.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961:—

(A) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)" and under sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR VIBHAG)" for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"I. *General International Trade Policy*

1. International Commercial Policy.
2. International agencies principally connected with commercial policy (e.g., UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT).
3. International Commodity Agreements other than agreements relating to Wheat.
4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

5. Tariff Commission (The Tariff Commission Act, 1951), Tariff Protection to Industries, International Customs Tariff Bureau.

II. Foreign Trade

6. All matters relating to foreign trade including trade negotiations and agreements (including General Agreement on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion, and protection of interests of Indian traders abroad.
7. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufactures including the following:
- (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (I of 1937);
 - (b) marine products;
 - (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products etc.);
 - (d) fuels, minerals and mineral products;
 - (e) specific export-oriented products (textiles, jute products, handicrafts, plantation crops etc.) which are directly the charge of this Department.
8. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including :
- (a) Export Credit and Guarantee Corporation.
 - (b) Export Inspection Council.
 - (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.
 - (d) Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity.
 - (e) Free Trade Zones.
9. Projects and programmes for stimulating and assisting the export effort.
10. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to—
- (i) import of feature films;
 - (ii) export of Indian films—both feature length and shorts; and
 - (iii) import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry.
11. Chief Controller of Imports and Exports.

III. Export-oriented Industries

12. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of:
- (a) All textiles, including handlooms and readymade garments, but excluding industries relating to the production of silk and non-cellulosic synthetic fibres (nylon, terylene polyester, acrylic).
 - (b) jute.
 - (c) handicrafts.
 - (d) plantation crops, tea, coffee, rubber and cardamom.
13. (i) Textile Commissioner.
 (ii) Jute Commissioner.
 (iii) Cotton Corporation of India Ltd.
 (iv) Jute Corporation of India Ltd.
 (v) Tea Trading Corporation of India Ltd.
 (vi) All India Handicrafts Board.
 (vii) All India Handloom Board.
 (viii) Tea Board.
 (ix) Coffee Board.
 (x) Rubber Board.
 (xi) Cardamom Board.

IV. State Trading

14. Policies of State trading, and performance of organisations established for the purpose, including:
- (i) State Trading Corporation and its subsidiaries, including—
 - (a) Handicrafts & handlooms Export Corporation.
 - (b) Cashew Corporation of India.
 - (c) Project & Equipment Corporation.
 - (ii) Minerals & Metals Trading Corporation.

V. Trading with the enemy; Enemy property

15. Trading with the enemy; enemy firms and enemy property; reparations (other than German Industrial equipment); Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy Firms; Custodian of Enemy Property for India";

(B) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)" after entry 41, the following entries shall be inserted, namely:—

- "41A. Government servants having families in Pakistan—cases regarding grant of permission to Government servants to visit Pakistan.
- 41B. Matters relating to Code of Conduct for Legislators.
- 41C. Code of Conduct for Minister.
- 41D. Employment of wives or dependents of Government servants in foreign Missions in India.
- 41E. Exchange of visits between Civil and Military Officers.
- 41F. Declaration of a service as an essential service and where other Ministries propose to issue notifications in this behalf, consideration of such proposals."

(C) under the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)", for entries 3 to 10 under sub-item "II. Films", the following entries shall be substituted, namely:—

- "3. (i) import of films feature-length and shorts for Theatrical and non-Theatrical use;
- (ii) export of Indian films—feature-length and shorts;
- (iii) import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry.
- 4. (i) Production and distribution of documentaries and newsreels and other films and film strips for internal and external publicity.
- (ii) Creation of distribution and exhibition chains for films.
- 5. Developmental and promotional activities relating to film industry, including teaching and research.
- 6. (i) Legislation under entry 60 of the Union List, viz., "Sanctioning of Cinematograph Films for Exhibition".
- (ii) Administration of Cinematograph Act, 1952, which includes—
 - (a) Examination and certification of cinematograph films for public exhibition by the Central Board of Film Censors; and
 - (b) Regulation of exhibitions by means of cinematograph in Union Territories.
- 7. Grant of State Awards for films produced in India.
- 8. Grants to Children's Film Society.
- 9. Implementation of the recommendations of the Film Enquiry Committee.
- 10. The National Film Corporation and the Indian Motion Pictures Export Corporation (IMPEC)."

(D) under the heading "CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)", and under sub-heading "B. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)".

- (i) in entry 20(e), the words "Matters relating to the Code of Conduct for Legislators" shall be omitted;
- (ii) entry 33 shall be omitted.

V. V. GIRI,
President.



[No. 74/2/1/73-CF]
J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय
(मंत्रिमंडल-कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1973

का० आ० 417(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1 (1) इन नियमों का नाम 'भारत सरकार' (कार्य-आवंटन) (निन्यानवा संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में —

(क) "वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत और "विदेश व्यापार विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

I. साधारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति

1. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीति ।
2. वाणिज्यक नीति से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण (उदाहरणार्थ अंकटाइ, एकाफे, ऐका, ऐकला, ई ई सी, एफटा, गाट)
3. गेहूं से सम्बन्धित करारों से निम्न अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करार ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बन्धित सभी मामले जिसमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध सम्मिलित है ।
5. टैरिफ आयोग (टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951). उद्योगों को टैरिफ संरक्षण— अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क टैरिफ ब्यूरो ।

II. विदेश व्यापार

6. विदेश व्यापार से सम्बन्धित सभी मामले जिसमें व्यापार सम्बन्धी पत्राचार और करार (जिसमें टैरिफ और व्यापार) विषयक साधारण करार और राष्ट्रमण्डल टैरिफ अधिमान भी हैं) व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमण्डल, व्यापारिक सहयोग और संवर्द्धन और विदेशस्थ भारतीय व्यापारियों के हितों का संरक्षण भी है ।
7. सभी धस्तुधो, उत्पादों, विनिर्माणों, और अर्ध-विनिर्माणों (जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है;) के सम्बन्ध में निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार :
 - (क) कृषि उपज (श्रेणीकरण और अंकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अर्थ में कृषि उपज ,
 - (ख) समुद्री उत्पाद
 - (ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामान, रासायनिक, प्लास्टिक, चमड़े के उत्पाद आदि)
 - (घ) इंधन, खनिज और खनिज उत्पाद ;
 - (ङ) निर्यात की दृष्टि से विनिर्दिष्ट उत्पाद (वस्त्र, पटसन उत्पाद, हस्तशिल्प, वामान फसलें आदि) जो सीधे इस विभाग के भारसाधन में हैं ।
8. निर्यात-प्रयत्न से सम्बन्धित सेवाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित सभी सगठन और संस्थान जिनमें निम्नलिखित भी है :—
 - (क) निर्यात साखा और प्रत्याभूति निगम ।
 - (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् ।
 - (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय ।
 - (घ) प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय ।
 - (ङ) मुक्त व्यापार जोन ।

9. निर्यात-प्रयत्न को प्रोत्साहन देने और उसमें सहायता करने की परियोजनाएं और कार्यक्रम ।
10. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण, जिसमें निम्नलिखित से सम्बन्धित विषय नहीं हैं :—
- (i) फीचर फिल्मों का आयात ;
 - (ii) भारतीय फिल्मों का निर्यात-फीचर सम्बाई वाली और लघु दोनों; और
 - (iii) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित चलचित्र फिल्म (अनपेक्षित) और अन्य मामल का आयात और वितरण ।
11. मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक ।

III. निर्यात की दृष्टि से उद्योग

12. निम्नलिखित का उत्पादन, (धरेलू उपभोग और निर्यात के लिए) वितरण और विकास
- (क) सभी वस्त्र जिसमें हाथकरषा और सिसे-सिलाए कपड़े भी हैं, किन्तु रेशम और सेलुलोजरहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, टैरीलिन, पोलिएस्टर, एक्रिलिक) के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग नहीं है ।
 - (ख) पटसन ।
 - (ग) हस्तशिल्प ।
 - (घ) बागान फसलें, चाय, काफी, रबड़ और इलाइची ।
13. (i) वस्त्र आयुक्त ।
- (ii) पटसन आयुक्त ।
 - (iii) काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।
 - (iv) जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।
 - (v) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।
 - (vi) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।
 - (vii) अखिल भारतीय हाथकरषा बोर्ड ।
 - (viii) चाय बोर्ड ।
 - (ix) काफी बोर्ड ।
 - (x) रबड़ बोर्ड ।
 - (xi) इलाइची बोर्ड ।

IV राज्य व्यापार

14. राज्य व्यापार की नीतियां, और उस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का निष्पादन जिसमें निम्नलिखित भी हैं :
- (i) राज्य व्यापार निगम और उसके समनुपंगी जिसमें निम्नलिखित भी है :—
 - (क) हस्तशिल्प और हाथ करषा निर्यात निगम ।
 - (ख) भारतीय काजू निगम ।

- (ग) परियोजना और उपस्कर निगम ।
 (ji) खनिज और खान व्यापार निगम ।

V. शत्रु के साथ व्यापार, शत्रु सम्पत्ति

- 15 शत्रु के साथ व्यापार, शत्रु फर्मों और शत्रु-सम्पत्ति, 'हानिपूर्ति (जर्मन औद्योगिक उपस्करों से भिन्न)'; शत्रु व्यापार नियंत्रक; शत्रु फर्म नियंत्रक, भारत का शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक ।
- (ख) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 41 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् —
- "41क सरकारी सेवकों जिनके कुटुम्ब पाकिस्तान में हैं—
 सरकारी सेवकों को पाकिस्तान जाने की अनुज्ञा दिए जाने के मामले ।
- 41ख विधायकों के लिए आचरण-सहिता से सम्बन्धित मामले ।
- 41ग. मत्रियों के लिए आचरण-सहिता ।
- 41घ सरकारी सेवकों की पत्नियों या आश्रितों का भारत में विदेशी मिशनो में नियोजन ।
- 41ङ सिविल और सैनिक अधिकारियों का परस्पर आना-जाना ।
- 41च. किसी सेवा की आवश्यक सेवा के रूप में घोषणा और जहां अन्य मंत्रालय इस निमित्त अधिसूचनाएं जारी करने की प्रस्थापना करे वहां ऐसी प्रस्थापनाओं पर विचार ।"
- (ग) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत उप-मद "11. फिल्म" के अन्तर्गत प्रविष्टि 3 से 10 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —
- "3 (i) प्रदर्शन के और इतर प्रयोग के लिए फीचर लम्बाई की और लघु फिल्मों का आयात ,
- (ij) फीचर लम्बाई का और लघु भारतीय फिल्मों का निर्यात,
- (iji) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित चलचित्र फिल्म (अनअभिदर्शित) और अन्य माल का आयात और वितरण ।
- 4 (i) अन्तर्देशीय और विदेश प्रचार के लिए वृत्त चित्रों और समाचार चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्मों के टुकड़ों का उत्पादन और वितरण ।
- (ii) फिल्मों के लिए वितरण और प्रदर्शन श्रृंखलाओं का सृजन ।
- 5 फिल्म उद्योग से सम्बन्धित विकासकारी और संबर्धक क्रियाएं, जिनमें शिक्षण और अनुसंधान भी हैं ।
6. (i) सद्य सूची की प्रविष्टि 60 अर्थात् प्रदर्शन के लिए "चलचित्रों की मजूरी" के अधीन विधान ।

- (ii) चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन जिसमें निम्नलिखित भी हैं—
- (क) मार्चजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्रों की केन्द्रीय फिल्म सेमर बोर्ड द्वारा परीक्षण और प्रमाणन; और
- (ख) संघ राज्य क्षेत्रों में चलचित्र यंत्र द्वारा होने वाले प्रदर्शनों का विनियमन ।
7. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान करना ।
8. बाल फिल्म सोसाइटी को अनुदान ।
9. फिल्म जांच समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।
10. राष्ट्रीय फिल्म निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (इम्पेक)";
- (घ) "मंत्रिमण्डल सचिवालय" शीर्षक के अन्तर्गत और उप-शीर्षक "सांख्यिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" के अन्तर्गत,—
- (i) प्रविष्टि 20 (क) में "विधायकों के आचरण-संहिता सम्बन्धी मामले" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ii) प्रविष्टि 33 का लोप कर दिया जाएगा ।

बी० वी० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/73-सी० फ०]

जगजीत सिंह मोंगिया, संयुक्त सचिव ।

